अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.–39 / 18–19

केश का प्रकार : बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–09 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकारः– मो0 फैजुल हक

प्रतिपक्षीः–मो0शोएब।

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर **अर्जीकारः**– मो0 फैजुल हक साकिन– संग्राम अंचल झंझारपुर। **प्रतिपक्षीः**– मो0 शोएब पे0 मो0 हलीम साकिन– संग्राम, अंचल–झंझारपुर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
	आदेश	
09.03.19	प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन पर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, झंझारपुर द्वारा संधारित **अभिलेख संख्या–01 / 2018–19** में की गई अनुशंसा के आधार पर बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत वाद की प्रकिया प्रारंभ करते हुये पक्षकारों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने की सूचना दी गई। **आवेदक की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–** 1– मौजा–संग्राम थाना–फुलपरास, थाना नं. 145 के खाता नं. 20 का खतियानी रैयत कीताबअली पे0 नवी वक्स वो मनीरूद्दीन पे0 मकदुम थे वो खाता नं. 20 के अंतर्गत खेसरा नं. 156, 168, 176, 173, 420, 691, 1850, 1348, 1828, 1800, 405, 535, 1217, 1389, 1403 सहित अन्य खेसरेजात शामिल है। 2– नवी वक्स पूर्वज खानदान आवेदक के थे नवी वक्स को दो पुत्र किताबअली एवं मकदुम। किताबअली एक पत्नी मोस्मात झूमकी वो तीन पुत्री ग्याबुल निशा, शैबूल निशा एवं खूदैजा खातून को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये वो मकदुम भी एक पुत्र मजीरूद्दीन उर्फ मनीर को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। 3– खाता नं. 20 के अंतर्गत शामिल खेसरेजात सहित दिगर खेसरेजात का जमाबंदी नं. 13 मो0 झूमकी जौजे कीताबअली वो मजीरूद्दीन पे0 मकदुम के नाम से विधिवत कायम हुआ वो जमाबंदी नं. 13 खाता नं. 20 के अंतर्गत सन्निहित खेसरेजात सहित दिगर एराजी कुल रकवा 5 बीघा 6 कट्ठा 3 धूर का मालगुजारी बिहार सरकार को अदाय कर रसीद झूमकी वो मजीरूद्दीन पाते रहे। 4– बंशावली से स्पष्ट होगा कि तथाकथित केवाला तारीख 14.04.1981 के बिक्रेता बीबी हाजरा दोख्तर शेख बिलट नवी वक्स के खानदान के सदस्य नहीं है वो शेख बिलट भी नवी वक्स के खानदान के सदस्य नहीं हैं। जमाबंदी संख्या–13 के अंश एराजी से भी बीबी हाजरा को कभी कोई सरोकार न हुआ वो न हो सकता है। बीबी हाजरा के द्वारा तामिल तथाकथित केवाला तारीख 14.04.81 के बुनियाद पर विपक्षी सोएब को	

एक लेहजे के लिए भी जमाबंदी नं. 13 के अंश रकवा पर भी हकीयत वो दखल कब्जा नसीब नहीं हुआ वो न हो सकता है।

5– नवी वक्स के इजमाल खानदान के सदस्यों के बीच आपसी बंटवारा से जमाबंदी नं. 13 में दर्ज एराजी मनिरूद्दीन उर्फ मनीर के हिस्से, हकीयत वो दखल में दर आया जिससे झूमकी जौजे कीताबअली या वारिशान उन्हीं को एक लेहजे के लिए भी सरोकार नहीं रहा।

6– मनीरूस्द्दीन चार पुत्रों सिद्दीकी, सिकन्दर, सफीक वो रफीक को इजमाल छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। जमाबंदी नं. 13 की सम्पूर्ण एराजी उनके वारिशान दखलकार रहते आये। आपसी बटवारा में जमाबंदी संख्या–13 की संपूर्ण एराजी सिकन्दर के हिस्से वो हकीयत में दर आया जिस पर सिकन्दर पे0 मनीरूद्दीन हकीयत के साथ दखलकार हुये। बाद में सिकन्दर एक मात्र पुत्र अबूल हसन को छोड़कर मर गये। जमाबंदी नं. 13 की सपूर्ण एराजी अबूल हसन दखलकार हुये आवेदक अबूल हसन के पुत्र हैं।

7– **रिभिजनल सर्वे खतियान अंदर खाता नं. 1024 वो 1083 पूर्वज फिदवी आवेदक के नाम से कायम हुआ।**

8– केवाला तारीख 14.04.81बीबी हाजरा बनाम मो0 शोएब बिना हक अधिकार बिना जरसेमन के नुमाईशी फरेबी वो नल भ्याएड एबिनिसियो है जो कभी असर में नहीं आया। उक्त केवाला के बुनियाद पर मो0 सोएब को जमाबंदी नं. 13 के अंश एराजी पर भी एक लेहजे के लिए दखल कब्जा नसीब नही हुआ वो न है जो राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से भी जाहिर वो साबित होगा।

9– दाखिल खारिज वाद संख्या– 1470/2159 वर्ष 1917–18 में कभी भी जमाबंदी नं. 13 के जमाबंदीदार या वारिसान को कोई सूचना न तो दी गई वो न हुई वो न है। **जमाबंदी संख्या–2149** बिल्कुल गलत, अवैधानिक, फर्जी तौर पर कायम हुआ जिसकी कोई पायबन्दी आवेदक को नहीं हो सकता है।

10– जाहीरा मौजा– संग्राम का रकवा दर्ज करवाकर रजिस्ट्री जिला सुपौल में नाजायज रूप से मो0 शोएब द्वारा करवाया गया जो साबित करता है कि जाहीरा केवाला फर्जी तौर पर वजूद में लाया गया है।

11– अंचल अधिकारी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये जमाबंदी नं. 2149 बनाम मो0 सोएब को रद्द करने का आदेश फरमाया जाय।

प्रतिपक्षी मो0सोएब का पक्षः–

प्रतिपक्षी जमाबंदीदार को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना अंचल अधिकारी, झंझारपुर के स्तर से भी भेजी गई किन्तु कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।

जमाबंदीदार को वकालतन/सहालतन पक्ष रखने का अवसर दिया गया किन्तु अंचल स्तर से बिना तामिला के सूचना वापस। कार्यालय परिचारी का प्रतिवेदन है कि "मौजे मजकुर में गया बनाम मो0 सोएब पे0 मो0 हलीम नाम का व्यक्ति संग्राम में नहीं मिलने पर वहॉ के ग्रामीण से पूछने पर पता चला कि इस नाम (मो0सोएब पे0 मो0 हलीम) का व्यक्ति संग्राम में नहीं है। वहॉ के दो ग्रामीण गवाह के रूप में आधार कार्ड का फोटो कॉपी के साथ हस्ताक्षर करा लिया"।

सुनवाई के क्रम मे जमाबंदीदार को निबंधित डाक से भी सूचना भेजी

(7)

गयी। निबंधित पत्र RF508145605IN बिना तामिला के वापस लौटा दिया गया। **डाकघर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि "इस नाम का व्यक्ति का सही पता नहीं चला वापस"।** जमाबंदीदार की अनुपस्थिति के कारण उनका पक्ष अप्राप्त रहा।

अंचल अधिकारी, झंझारपुर द्वारा संधारित अभिलेख संख्या–1/18–19 के आदेशफलक में उद्धृत प्रतिवेदन का मुख्य अंशः–

1– मौजा– संग्राम थाना संख्या–145 बिक्रेता बीबी हाजरा जौ0 हनीफ ने केवाला संख्या–2836 दिनांक– 14.04.1981 क्रेता मो0 सोएब पे0 मो0 हलीम साकिन–संग्राम को वाद संख्या– 1470/2159/2017–18 द्वारा जमाबंदी संख्या– 13 मो0 झुमकी वो मनीर पे0 मकदुम के जमाबंदी से रकवा 0–12–10–0–11 निकालकर नवसृजित जमाबंदी संख्या– 2149 कायम किया गया।

2– राजस्व कर्मचारी को दाखिल खारिज के समय प्रश्नगत जमीन पर क्रेता के दखल के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण दाखिल खारिज हेतु अनुशंसा कर दिये।

3– स्पष्ट है कि केवाला में सन्निहित भूमि क्रेता के दखल में नहीं है। जमीन रैयती श्रेणी की है। भूलवश जानकारी नहीं मिलने के कारण दाखिल खारिज स्वीकृति की अनुशंसा के कारण जमाबंदी संख्या–2149 रकवा 0–12–10–0–11 कायम हो गया।

4– क्रेता मो0 शोएब को सूचना दी गई किन्तु कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुआ।

5– जमाबंदी संख्या–2149 रकवा 0–12–10–0–11 को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

बहस के दौरान सहायक विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सीमा झा द्वारा अभिलेख में उपलब्ध प्रतिवेदन/साक्ष्यों/ आवेदक के आवेदन का अवलोकनोपरान्त प्रस्तुत लिखित पक्ष का मुख्य अंशः–

आवेदक फैजुल हक के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक– 07.12.2018 में दर्ज सभी तथ्य सही है जिसे स्वीकार किया जा सकता है।

निष्कर्षः–

आवेदक का आवेदन, अंचल अधिकारी, झंझारपुर द्वारा अपने कार्यालय में संधारित अभिलेख संख्या–1/2018–19 में उद्धृत राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन, अंचल अधिकारी, द्वारा की गई अनुशंसा, विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सरकारी पक्ष, साक्ष्य/ कागजातों का अवलोकन एवं परिसिलन किया।

आवेदक ने अपने आवेदन में कुर्सीनामा अंकित करते हुये बीबी हाजरा जौजे हनीफ द्वारा प्रतिपक्षी मो0 शोएब पे0 मो0 हलीम के पक्ष में किये गये केवाला संख्या–2836 दिनांक– 14.04.1981 को गलत, फरेबी कहते हुये उसपर कायम जमाबंदी संख्या–2149–बनाम–मो0शोएब को रद्द करने का अनुरोध अपने आवेदन में किया।

निबंधित केवाला पर किसी प्रकार की टिप्पणी इस न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। इस हेतु माननीय सिविल न्यायालय सक्षम है।

प्रतिपक्षी जमाबंदीदार को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना अंचल अधिकारी, झंझारपुर के स्तर से भी भेजी गई किन्तु कोई आपत्ति प्राप्त

नहीं हुआ। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी ने अपने कार्यालय में अभिलेख संधारित करते हुये बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत सारी स्थिति को स्पष्ट करते हुये प्रतिपक्षी के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की।

अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुये जमाबंदीदार को वकालतन/सहालतन पक्ष रखने का अवसर दिया गया किन्तु अंचल स्तर से बिना तामिला के सूचना वापस। निबंधित डाक से भी सूचना भेजी गयी। निबंधित पत्र RF508145605IN बिना तामिला के वापस लौटा दिया गया। डाकघर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ''इस नाम का व्यक्ति का सही पता नहीं चला वापस''। जमाबंदीदार की अनुपस्थिति के कारण उनका पक्ष अप्राप्त रहा।

विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता ने लिखित पक्ष रखा है कि आवेदक के आवेदन में दर्ज सभी तथ्य सही है जिसे स्वीकार किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी अपने अंचल क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली भूमि के राजस्व अभिलेखों के संरक्षक होते हैं। अंचल अधिकारी, झंझारपुर का प्रतिवेदन है कि राजस्व कर्मचारी को दाखिल खारिज के समय प्रश्नगत जमीन पर क्रेता के दखल के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण दाखिल खारिज हेतु अनुशंसा कर दिये। भूलवश जानकारी नहीं मिलने के कारण दाखिल खारिज स्वीकृति की अनुशंसा के कारण जमाबंदी संख्या–2149 रकवा 0–12–10–0–11 –बनाम–विपक्षी कायम हो गया। अंचल अधिकारी ने जमाबंदी संख्या–2149 रकवा 0–12–10–0–11 को रद्द करने की अनुशंसा की है।

चूँकि अंचल अधिकारी अपने अंचल क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली भूमि के राजस्व अभिलेखों के संरक्षक हैं एवं उन्होंने भूलवश जानकारी नहीं मिलने के कारण दाखिल खारिज स्वीकृति की अनुशंसा के कारण कायम जमाबंदी संख्या–2149 रकवा 0–12–10–0–11 –बनाम–विपक्षी को रद्द करने की अनुशंसा की है।

अंचल अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त जमाबंदी को रद्द किया जाता है किन्तु अंचल अधिकारी, झंझारपुर को आदेश दिया जाता है कि वैसे गलत प्रतिवेदन देने वाले राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाय ताकि ऐसे भूल एवं चूक की पुनरावृति भविष्य में नहीं हो जो समस्या का कारण बने। अंचल अधिकारी को भी भविष्य के लिए सचेष्ट किया जाता है कि स्वयं स्थल निरीक्षण के बाद ही दाखिल खारिज वादों में निर्णय लें।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, झंझारपुर को भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित,

9.3.19

अपर समाहर्ता,

9.3.19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।